तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	[illegible] प्र.क्र. 42/2023
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] वांछित [illegible] दिनांक 4:9:23 को पेश हो। [signature]
4-9-23	पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] अधिकारी [illegible] [illegible] दिनांक 12-9-23 [illegible] हो। [signature]
12.09.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण मे प्रतिवादी की सम्मन तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने तथा साक्ष्य वादी हो जाने से वादपत्र को बहस में लिया गया। वकील वादी ने प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। वकील वादी के निवेदन पर बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 19.09.2023 को पेश हो। [signature] (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी (नीमकाथाना) Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.10.04 10:49:15 IST Reason: SelfAttested
19.09.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण मे मेरे द्वारा विस्तृत

राजस्थान सरकार अधिकारी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा.स. – 102/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

19/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
102 / 2023	2023 / 951	17.07.2023	19.09.2023

उनवान प्रकरण

1. रामअवतार पुत्र भगवानसहाय जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–वादी–

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—प्रतिवादी—

उपस्थित :–

श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:15 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

19/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2042 रकबा 1.7100 हैक्टर राजस्व ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर भू अभिलेख निरीक्षक मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसमें 1/5 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम रामू पुत्र भगवाना दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम रामअवतार पुत्र भगवान सहाय है। वादी के अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, मतदाता सूची, विद्युत कनेक्शन, बैंक पास बुक आदि में भी रामअवतार पुत्र भगवान सहाय ही अंकित हैं परन्तु कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम वादी को घर पर बोलते नाम रामू पुकारने के कारण वादी का नाम रामू दर्ज हो गया। जिससे वादी को सख्त हकतलफी है एवं वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं मे परेशानी हो रही है। इसलिए वादी का नाम रामू पुत्र भगवाना के स्थान पर रामअवतार पुत्र भगवानसहाय घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। वादी ने भूमिधारी तहसीलदार व पटवारी हल्का से उक्त नाम सही दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो अदालत मे घोषणा दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत करने एवं दुरूस्ती का आदेश लाने हेतु कहा हैं। इसलिए बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर वादी का वादपत्र डिक्री फरमाये जाने का निवेदन करते हुए राजस्व ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर भू अभिलेख निरीक्षक मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2042 रकबा 1.7100 है0 के राजस्व रिकार्ड मे जवाबंदी मे दर्ज 1/5 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम रामू पुत्र भगवाना के स्थान पर रामअवतार पुत्र [illegible] जाकर दुरूस्त किया जावे। वाद [illegible] घोषणा एंव स्थायी निषेधा[illegible] न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

19/09/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से करवाई गई। जो असालतन तामील होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादी ने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र मे वादी रामअवतार पुत्र भगवानसहाय का एवं साक्ष्य वादी गवाहान् मे औमप्रकाश जांगिड पुत्र छोटूराम जांगिड व बनवारी लाल पुत्र भगवानसहाय के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किए। वकील वादी ने वादपत्र मे वादी एवं गवाहान् के मुख्य परीक्षण के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश कर दिए जाने से प्रकरण मे आज बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074 2077 जमाबंदी, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, पंचायत मतदाता सूची 2009, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का बिजली बिल, पैंशनर आवेदन रसीद, भारतीय स्टेट बैंक खाते की पासबुक की प्रति, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल, रिपोर्ट, नामान्तकरण पंजिका, साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में पेश वादी व गवाहान् द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर भू अभिलेख निरीक्षक मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2042 रकबा 1.7100 है0 के राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी मे दर्ज 1/5 हिस्सा की खातेदारी मे वादी का नाम रामू पुत्र भगवाना दर्ज रिकार्ड होना प्रमाणित होता है जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात् यथा परिवार राशन कार्ड, आधार का[illegible], मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, पंचायत मतदाता सूची 2009 [illegible] लिमिटेड का बिजली बिल, पैंशनर आवेदन रसीद, भारतीय [illegible] पासबुक की प्रति मे वादी का नाम रामअवतार पुत्र भगवान सहाय दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिसकी ताईद वादी के

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:15 IST
Reason: SelfAttested

19/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कथन के समर्थन मे साक्ष्य वादी मे प्रस्तुत गवाहान् के शपथ पत्रो से होती है। अत: ऐसी स्थिति मे वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर रामू पुत्र भगवाना के स्थान पर रामअवतार पुत्र भगवान सहाय दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत घोषणा एव स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि राजस्व ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर भू–अभिलेख निरीक्षक मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 मे अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2042 रकबा 1.7100 है0 के राजस्व रिकार्ड मे जमाबंदी में दर्ज 1/5 हिस्सा की खातेदारी में वादी का नाम रामू पुत्र भगवाना के स्थान पर रामअवतार पुत्र भगवान सहाय घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

19/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 19.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/09/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.04 10:49:15 IST
Reason: SelfAttested